

जी. सी. मितल और एस. एस. सोढ़ी, जे.जे. के समक्ष।

सोनीपत आयरन एंड स्टील रोलिंग मिल्स, सोनीपत, - आवेदक।

बनाम

आयकर आयुक्त, हरियाणा, - प्रतिवादी।

1982 का आयकर संदर्भ संख्या 35

5 अप्रैल 1989.

*आयकर अधिनियम (1961 का XLIII) - धारा 139(4), 153(एल)(बी)(सी), 153(1)*

*(ए)(iii), 271(एल)(सी) - निर्धारित गलत कटौती का दावा कर रहा है--- तथ्य लाया*

*सोनीपत आयरन एंड स्टील रोलिंग मिल्स, सोनीपत बनाम आयकर आयुक्त, हरियाणा (जी.*

*सी. मितल, जे.)*

*निर्धारित के नोटिस में- कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया - राजस्व को धोखा देने के लिए*

*राशि - आयकर अधिकारी ने कटौती की अनुमति नहीं दी - मूल्यांकन तैयार करने के लिए*

*सीमा की वधि - चाहे 8 वर्ष तक फैली हुई हो।*

*माना गया कि ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज किए गए तथ्य का निष्कर्ष यह है कि आयकर अधिकारी*

*को दो साल की सीमा के भीतर उपस्थिति/मजदूरी रजिस्टर की वास्तविकता पर संदेह था*

*और नासिक सरकारी प्रिंटिंग प्रेस की रिपोर्ट ने संदेह की पुष्टि की। यह 4 मार्च, 1975 को*

*सीमा वधि के भीतर आया। यह राजस्व को चूना लगाने के लिए कटौती का झूठा दावा*

करने का एक प्रयास था। इतना ही नहीं, सीमा के भीतर लिखे गए चार पत्रों द्वारा सामग्री को निर्धारिती के ध्यान में लाया गया। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आयकर [X] अधिकारी द्वारा इस बिंदु पर दिमाग का उपयोग किया गया था कि निर्धारिती ने [X] पनी आय छिपाई थी और जो सबूत साबित हुए थे, उन्हें उसके ध्यान में लाया गया था। इसलिए आयकर [X] धिनियम, 1961 की धारा 153(एल)(बी) में निहित 8 वर्ष की सीमा स्पष्ट रूप से मामले पर लागू होगी।

(पैरा 6)

ट्रिब्यूनल से उत्पन्न कानून के निम्नलिखित प्रश्न पर राय के लिए आयकर [X] धिनियम, 1961 की धारा 256(1) के तहत आयकर [X] पीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली बेंच 'ई' द्वारा पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय को संदर्भ आदेश दिनांक 28 [X] व्टूबर 1980 आर.ए. नंबर 1450 (डेल) 80 आईटीए नंबर 383 (चंडी) 79 में, सहायक। वर्ष 1972-73.

“क्या, तथ्यों और मामले की परिस्थितियों और कानून के आधार पर, आईटीएटी का यह मानना उचित था कि मूल्यांकन पूरा करने के लिए विस्तारित समय सीमा आयकर [X] धिनियम 1961 की धारा 153 (एल) (बी) के प्रावधानों के संदर्भ में मूल्यांकन प्राधिकारी के लिए उपलब्ध थी। ”

याचिकाकर्ता की ओर से श्री संजय बंसल के साथ वरिष्ठ [X] धिवक्ता बी.एस. गुप्ता।

प्रतिवादियों की ओर से [X] शोक भान, वरिष्ठ [X] धिवक्ता और [X] जय मित्तल, [X] धिवक्ता।

## आदेश

### गोकल चंद मितल, जे

(1) संदर्भ में शेष बिंदु यह है कि क्या आयकर [X] धिनियम, 1961 (संक्षेप में 'X धिनियम') की धारा 153(1) (बी) में निहित 8 वर्ष की सीमा लागू होगी। मामला आकलन वर्ष 1972-73 का है।

(2) 26 सितंबर, 1974 को निर्धारिती के परिसर की तलाशी ली गई और दस्तावेज, रजिस्टर और खाता पुस्तकें कब्जे में ले ली गईं। उपस्थिति/मजदूरी रजिस्टर में दर्शाए [X] नुसार [X] पने कर्मचारियों को दिए गए वेतन की कटौती का दावा व्यवसाय चलाने के खर्चों के रूप में रिटर्न में किया गया था।

(3) आयकर [X] अधिकारी ने रजिस्टर में राजस्व टिकटों की वास्तविकता पर संदेह किया और उन्हें सरकारी प्रिंटिंग प्रेस नासिक में भेज दिया और 4 मार्च, 1975 को रिपोर्ट प्राप्त हुई कि उक्त रजिस्टर पर तय किए गए राजस्व टिकट 8 मई 1972 को मुद्रित किए गए थे। और 22 मई, 1972 को जारी किया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर, आयकर [X] अधिकारी ने एक [X] स्थायी राय बनाई कि राजस्व टिकट वित्तीय वर्ष 1971-72 में [X] स्तित्व में नहीं थे। रजिस्टर में हेराफेरी की गई और रिटर्न में कटौती का झूठा दावा किया गया। उन्होंने 7 जनवरी, 1975, 10 जनवरी, 1975, 28 फरवरी, 1975 और 10 मार्च, 1975 को पत्रों द्वारा निर्धारिती के ध्यान में यह तथ्य लाया। निर्धारिती कोई स्पष्टीकरण देने के लिए आगे नहीं आया। कुछ [X] न्य मामले भी थे जिनकी जांच की आवश्यकता थी क्योंकि आयकर [X] अधिकारी को यह स्पष्ट था कि निर्धारिती ने वास्तविक

आय छिपाई थी और धिनियम की धारा 139(4) के तहत दाखिल रिटर्न में पनी आय कम बताई थी। अंत में, 16 सितंबर, 1976 को, आयकर अधिकारी ने कुछ नकद क्रेडिट और कर्मचारियों को भुगतान किए गए वेतन के कारण दावा किए गए खर्चों को स्वीकार करने के बाद मूल्यांकन तैयार किया, जैसा कि उपस्थिति और वेतन रजिस्टर में दिखाया गया है। आयकर अधिकारी के समक्ष निर्धारिती का कहना था कि धिनियम की धारा 153(1) (ए) (iii) के तहत दो साल की सीमा वधि 31 मार्च, 1975 को समाप्त हो गई, और इसलिए, मूल्यांकन नहीं किया जा सका। निर्धारिती का वैकल्पिक रुख यह था कि चूंकि उसने धिनियम की धारा 153(1) (सी) के मद्देनजर 20 मार्च, 1975 को एक और रिटर्न दाखिल किया था, इसलिए मूल्यांकन 20 मार्च, 1976 तक तय किया जा सकता था और मूल्यांकन तैयार करने की तारीख पर कोई सीमा नहीं थी। इस आधार पर उन्होंने पीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष पील की।

(4) कुछ परिवर्धन को लग रखा गया लेकिन शेष परिवर्धन को बनाए रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला गया कि आयकर अधिकारी के समक्ष, नासिक से प्राप्त रिपोर्ट की प्रकृति में ऐसी सामग्री थी कि वेतन रजिस्टर जाली था और आय को छुपाया गया था और धिनियम की धारा 271(1)(सी) लागू थी और धिनियम की धारा 153(1)(बी) में निहित 8 वर्षों की विस्तारित सीमा लागू थी और जिस तिथि पर आयकर अधिकारी ने मूल्यांकन किया था वह 8 वर्षों की सीमा के भीतर था।

(5) ट्रिब्यूनल के समक्ष निर्धारिती द्वारा आगे की ऌ पील पर, ऌ पीलीय सहायक आयुक्त के आदेश को बरकरार रखा गया। निर्धारिती के कहने पर आयकर ऌ पीलीय न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित प्रश्न को राय के लिए भेजा है:

“क्या, तथ्यों पर और मामले की परिस्थितियों में, और कानून में,

आईटीएटी का यह मानना उचित था कि मूल्यांकन पूरा करने के लिए विस्तारित समय सीमा आयकर ऌ धिनियम, 1961 की धारा 135 (1) (बी) के प्रावधानों के ऌ नुसार मूल्यांकन प्राधिकारी के लिए उपलब्ध थी।

(6) ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज किए गए तथ्य का निष्कर्ष इस आशय का है कि आयकर ऌ धिकारी को दो साल की सीमा के भीतर उपस्थिति वेतन रजिस्टर की वास्तविकता पर संदेह था और नासिक सरकार प्रिंटिंग प्रेस की रिपोर्ट ने संदेह की पुष्टि की। यह 4 मार्च, 1975 को सीमा ऌ वधि के भीतर आया। यह राजस्व को चूना लगाने के लिए कटौती का झूठा दावा करने का एक प्रयास था। इतना ही नहीं, सीमा के भीतर लिखे गए चार पत्रों द्वारा सामग्री को निर्धारिती के ध्यान में लाया गया। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आयकर ऌ धिकारी द्वारा इस बिंदु पर दिमाग का उपयोग किया गया था कि निर्धारिती ने ऌ पनी आय छुपाई थी और जो सबूत साबित हुए थे, उन्हें उसके ध्यान में लाया गया था। इसलिए, **एस कंवल तेज सिंह बनाम आयकर ऌ धिकारी**

ए.द्वितीय, जिला नियो दिल्ली,<sup>1</sup> के मद्देनजर, धिनियम की धारा 153 (1) (बी) में निहित 8 साल की सीमा स्पष्ट रूप से मामले पर लागू होगी

(7) निर्धारिती की ओर से, एम.बी. मर्केटाइल कंपनी बनाम सी.आई.टी.,<sup>2</sup> और सी.एल.टी. बनाम सुरजपाल सिंह<sup>3</sup>, में कुछ टिप्पणियों पर भरोसा किया गया था। इन दोनों मामलों में कानून की थोड़ी धितशयोक्ति है। मामले के तथ्य ऐसे हैं कि इन फैसलों के आधार पर भी वह सफल नहीं हो सकते।

(8) दूसरी ओर राजस्व के वकील ने टी. बी. हनुमंतराज (मृतक बनाम सी.एल.टी.)<sup>4</sup> पर भरोसा किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि कानून में थोड़ी कमी की गई है। जो भी हो, मामले के तथ्य ऐसे हैं कि हमारा विचार है कि ट्रिब्यूनल का यह मानना उचित था कि धिनियम की धारा 153 (1) (बी) में प्रदान की गई विस्तारित सीमा लागू थी और संदर्भित प्रश्न का उत्तर राजस्व के पक्ष में सकारात्मक दिया गया है। कोई लागत नहीं।

एस.सी.के.

---

<sup>1</sup> (1) (1966) 60 आई.टी.आर. 23 (पंजाब).

<sup>2</sup> (2) (1988) 169 आई.टी.आर. 201 (कलकत्ता)।

<sup>3</sup> (3) (1977) 108 आई.टी.आर. 746 (इलाहाबाद).

<sup>4</sup> (4) (1978) 111 आई.टी.आर. 414 (मद्रास)।

☒ स्वीकरण : स्थानीय भाषा में ☒ नुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह ☒ पनी भाषा में इसे समझ सके और किसी ☒ न्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का ☒ ग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सिद्धार्थ कपूर

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फरीदाबाद, हरियाणा